



पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून—248002
दूरभाष नं0 0135—2645249 फैक्स नं0 0135—2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 2212/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-5

दिनांक : 30.12.2023

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा (OPD, IPD) हेतु निम्नलिखित चिकित्सालय की मान्यता अवधि दिनांक 21.12.2023 के उपरान्त एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:—

क्र0 स0	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता समाप्ति की अवधि	विस्तारित मान्यता अवधि	उद्देश्य
1	मेदान्ता द मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा।	21.12.2023	22.12.2023 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु। (IPD-Cash less) (OPD-Without Cash less)

प्रतिबन्ध यह होगा कि : —

- उक्त चिकित्सालय पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के साथ पूर्व में हुए अनुबन्ध एवं इस कार्यालय के आदेश संख्या 1963/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-5 दिनांक 15.12.2016 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा उनके चिकित्सालय द्वारा प्रेषित एवं पिटकुल द्वारा अनुमोदित नवीन चिकित्सा दर सूची (Medanta Tariff Dated Sep-2023) के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा, जिस पर (OPD, IPD, Preventive Health Package) 15 प्रतिशत की छूट देय होगी। (Excluding- Package based OPD treatment (e.g. mental health, post transplant) Drugs, Disposable, consumables, blood component, implants, devices, all day care procedures, investigation other than lab & radiology, CT, PET-CT, MRI and outsourced investigation & test, OT & Anesthesia Charges and component of any pre defined packages.)
- उक्त चिकित्सालय द्वारा उपरोक्तानुसार पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को भर्ती (IPD) की दशा में कैश-लैस व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा उपलब्ध करायी जाएगी।
- मान्यता अवधि में चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 2212/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0—5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- निजी सहायक/डा0ए0ऑ—निदेशक (परिचालन)/(मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
- अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को दर सूची (Medanta Tariff) सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- श्री अभिजीत कुमार, ए0वी0पी0—मार्केटिंग, मेदान्ता—द मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा।
- सम्बन्धित पत्रावली।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)